न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—186/2019/225 आर.टी.एक्ट (2019/00186)

1. शैतान सिंह पुत्र स्व0 बिरदासिंह
2. श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व0 बिरदा सिंह
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम नाला, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
3. श्रीमती ममता उर्फ मम्मा पुत्री स्व0 बिरदासिंह पत्नी श्री सोहनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
4. कालू पुत्र स्व0 बिरदा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
5. कुमारी संपत्ति पुत्री स्व0 बिरदासिंह जाति रावत निवासी ग्राम नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व0 बिरदासिंह।

अपीलांटस

बनाम

1. बाबूसिंह पुत्र स्व0 रामा
2. गोपाल सिंह पुत्र स्व0 रामा
3. लाल सिंह पुत्र स्व0 रामा (मृतक जरिए वारिसान)

   3/1 रमेश पुत्र स्व0 लालरिंह जाति रावत निवासी ग्राम नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

   3/2 कमला पुत्री स्व0 लालसिंह पत्नी मदनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर

   3/3 विमला पुत्री स्व0 लालसिंह पत्नी नौरतसिंह जाति रावत निवासी ग्राम बोराज तहसील व जिला अजमेर

   3/4 संतोष पुत्री स्व0 लालसिंह पत्नी चंद्रसिंह जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

   3/5 बोना पुत्री स्व0 लालसिंह पत्नी बलदेवसिंह जाति रावत निवासी गाम्र काजीपुरा तहसील व जिला अजमेर।

   3/6 इंद्रा पुत्री स्व0 लालसिंह पत्नी गोपालसिंह जाति रावत निवासी ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला अजमेर।

   3/7 चैन सिंह पुत्र स्व0 लालसिंह (मृतक जरिए वारिसान)

   3/7/1 शारदा देवी पत्नी स्व0 चैनसिंह

   3/7/2 अल्का पुत्री स्व0 चैनसिंह (नाबालिग जरिए संरक्षिका

   3/7/3 सुमन पुत्री स्व0 चैनसिंह माता श्रीमती शारदा देवी

   3/7/4 रोशन पुत्र स्व0 चैनसिंह पत्नी स्व0 चैनसिंह)

   3/7/5 रवि पुत्र स्व0 चैनसिंह
4. श्रीमती गुमानी पत्नी स्व0 किशनसिंह
5. छगनसिंह पुत्र स्व0 किशनसिंह
6. दुरभिसिंह पुत्र स्व0 किशनसिंह
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम नाला, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
7. श्रीमती हन्जा पुत्री स्व0 किशनसिंह पत्नी भगवानसिंह जाति रावत निवासी रामचंद्र चौधरी डेयरी चैयरमेन के मकान के आगे, गली नम्बर 3, कोटडा, अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

8. श्रीमती नानी पुत्री स्व0 रामा पत्नी छैलसिंह जाति रावत निवासी ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर।
9. श्रीमती छोटी पुत्री स्व0 रामा पत्नी हनुमानसिंह
10. श्रीमती केली पत्नी स्व0 मोतीसिंह
11. पांचू सिंह पुत्र स्व0 मोतीसिंह
12. सुक्खा पुत्र स्व0 मोतीसिंह
    समस्त जाति रावत निवासी ग्राम नाला, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
13. श्रीमती जनता पुत्री स्व0 मोतीसिंह पत्नी प्रभूसिंह जाति रावत निवासी ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
14. श्रीमती शारदा स्व0 मोतीसिंह पत्नी शेरसिंह जाति रावत निवासी तालाब के पास, ग्राम बीर तहसील व जिला अजमेर।
15. श्रीमती जनता पत्नी स्व0 पूना सिंह जाति रावत निवासी ग्राम नाला, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
16. भवानसिंह पुत्र स्व0 पूनासिंह जाति रावत निवासी ग्राम नाला, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
17. कुमारी सुनिता पुत्री स्व0 पूनासिंह जाति रावत निवासी ग्राम नाला, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती जनता पत्नी स्व0 पूनासिंह जाति रावत निवासी ग्राम नाला, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
18. रमेश पुत्र स्व0 लालसिंह जाति रावत निवासी ग्राम नाला, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
19. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 लालसिंह पत्नी मदनसिंह जाति रावत निवासी ग्रम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
20. श्रीमती बल्ला पुत्री स्व0 लालसिंह पत्नी नौरत जाति रावत निवासी ग्राम बोराज तहसील व जिला अजमेर।
21. श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 लालसिंह पत्नी चंद्रसिंह जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया तहसील व जिला अजमेर।
22. श्रीमती बीना पुत्री स्व0 लालसिंह पत्नी बलदेव सिंह जाति रावत निवासी ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला अजमेर।
23. श्रीमती इंद्रा पुत्री स्व0 लालसिंह पत्नी गोपालसिंह जाति रावत निवासी ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला अजमेर।
24. मगन सिंह पुत्र धन्नासिंह जाति रावत निवासी ग्राम नाला, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
25. मेघा पुत्र धन्नसिंह जाति रावत निवासी ग्राम नाला, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
26. हरी पुत्र लाला जाति रावत निवासी नाला, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
27. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील कार्यालय पुष्कर जिला अजमेर।
28. मांगीलाल पुत्र स्व0 लक्ष्मण जाति रावत निवासी ग्राम नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
29. राजेश दग्दी पुत्र बाबूलाल दग्दी जाति माली निवासी आई0डी0एस0एम0टी0 कॉलोनी, पुष्कर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.02.2019 राजस्व वाद संख्या 04/2018

Scanned with CamScanner

उपस्थितः–

1. श्री,सहदेव चौधरी अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री,रूपक शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4,7.
3. श्री,एन0एस0राजावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 29.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3/7/5, 5, 6, 8 से 28 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः–05.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के द्वारा प्रकरण संख्या 04/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 28 मांगीलाल ने उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के न्यायालय में प्रतिवादीगण/अपीलांटस शैतान सिंह व बाबूसिंह आदि के विरूद्ध राजस्व वाद पत्र धारा 53, 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके विचाराधीन रहते हुए अपीलांट शैतान सिंह आदि ने धारा 212 आर0टी0एक्ट0 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी पुष्कर ने अपने समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध महत्वपूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण/अपीलांटस शैतान सिंह आदि के पक्ष में साबित पाए जाने के कारण अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2018 के द्वारा वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने एवं बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया। जिसके बाद प्रार्थीगण/अपीलांटस की सुनवाई किए बिना उक्त वैधानिक तौर पर पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2018 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2019 के द्वारा प्रभाव नहीं रखे जाने बाबत आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के द्वारा प्रकरण संख्या 04/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 7 व 29 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3/7/5, 5, 6, 8 से 28 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 4/2018 में नियत पेशी दिनांक 08.02.2019 को बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित किए जाने के कारण उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए सील लगाकर आगामी पेशी दिनांक 24.04.2019 को भी पीठासीन अधिकारी के चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 03.05.2019 नियत की गई। जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा नियुक्त अभिभाषक जानी सिंह रावत अदालत हाजिर हुए एवं पत्रावली का अवलोकन किया तब उनको सर्वप्रथम जानकारी हुई कि उनकी सुनवाई किए बिना एवं उनकी पीठ पीछे अनुपस्थिति में अपीलग्रस्त आदेश दिनांक 08.02.2019 पारित कर दिया गया। जिसके बाद अभिभाषक द्वारा प्रार्थी शैतान सिंह को दिनांक 20.05.2019 को सूचित किया; जिसके बाद आदेश की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

27.05.2019 को प्राप्त की एवं इसके बाद उपरोक्त अपील अविलंब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वाके ग्राम नाला, पुष्कर पटवार मण्डल पुष्कर तहसील पुष्कर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1076, 700, 748, 701, 725, 730, 750, 741, 749, 1002, 1509, 747, 751 एवं 1071 कुल किता 14 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 26 व अप्रार्थी संख्या 28 मांगीलाल की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सह खातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत तौर पर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है इसी कारण उपखण्ड अधिकारी पुष्कर ने अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2018 के द्वारा उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति को यथावत बनाए रखी जाने एवं रहन बेचान नहीं किए जाने का आदेश पारित किया, जिसको बिना किसी ठोस कानूनी आधार पर आदेश दिनांक 08.02.2019 पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी पुष्कर ने वादग्रस्त भूमि बाबत कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2018 को पारित किया, जिसके बाद प्रार्थीगण को सुने बिना अपीलग्रस्त आदेश दिनांक 08.02.2019 के द्वारा उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2018 को प्राभावी नहीं रखे जाने बाबत आदेश पारित कर दिया। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सह–खातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत तौर पर आज दिनांक तक कोई बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। इस कारण बंटवारा के वाद–पत्र के विचाराधीन रहते हुए कानूनन कोई भी पक्षकार अविभाजित वादग्रस्त भूमि को बेचान करके भौतिक रूप से कब्जे की स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने वादग्रस्त भूमि बाबत अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2018 को पारित किया, जिसके बाद प्रार्थीगण को सुनवाई किए बिना अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2019 के द्वारा उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2018 को आगे प्रभावी नहीं रखे जाने बाबत आदेश पारित करके एक प्रकार से पक्षकारान को बंटवारा के वाद–पत्र के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने की कानूनी छूट प्रदान कर दी है। प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र में उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने वैधानिक तौर पर अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2018 को पारित किया एवं आगामी पेशी दिनांक 28.03.2018 नियत की गई एवं इसके बाद आगामी पेशी दिनांक 13.04.2018 को नियत की गई, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 लालसिंह का स्वर्गवास दिनांक 10.03.2018 को हो जाने के कारण उसके वारिसान को न्यायालय रिकार्ड पर लिए जाने हेतु आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके जवाब हेतु प्रकरण नियत किया गया, इसके बावजूद उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णीत किए बिना पूर्व में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2018 को आगे प्रभाव में नहीं रखे जाने बाबत अपीलग्रस्त आदेश दिनांक 08.02.2019 को पारित कर दिया। प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में नियत पेशी दिनांक 08.02.2019 को बार एसोसिएशन के द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया था इसी कारण प्रकरण मे उक्त तथ्य का उल्लेख करते हुए सील लगाकर आगामी पेशी दिनांक 24.04.2019 वास्ते जवाब हेतु नियत की गई थी जिसके बाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण/अपीलांटस एवं उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषक श्री जानी सिंह रावत की बहस सुने बिना ही उनकी अनुपस्थिति में अपीलग्रस्त आदेश दिनांक 08.02.2019 पारित किया गया है जो तथ्यों के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2019 को निरस्त किया जाकर पूर्व में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2018 को ताफैसला वाद पत्र बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 29 ने दौरान जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अपीलांट ने मियाद बाहर अपील पेश कि है अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो कारण अंकित किए वो सदभाविक नहीं हैं। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 29 ने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत पेशी दिनांक 08.02.2019 को उभयपक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किये है। अभिभाषक श्री जानी सिंह रावत का यह कहना कि हमे आगामी पेशी दिनांक 24.04.2019 वास्ते जवाब हेतु पेश दी गई है, गलत है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में तारीख पेशी बाबत् किसी प्रकार कॉट–छाट नहीं है। प्रार्थी/अपीलांट ने अप्रार्थीगण की तामील के सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं जाने के कारण दिनांक 28.08.2018 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे प्रभावी रखा जाना उचित नहीं माना है, जो विधि सम्मत है। क्योंकि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तरिम स्थगन प्राप्त कर अनावश्यक प्रकरण को देरीना करने के उद्देश्य से प्रकरण का चला रहे थे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही हैं। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमाया जावे।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से ऐसी स्थिति में उपरोक्त कारणों से अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा उक्त राजस्व वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.2.2018 को विवादित आराजीयात बाबत स्थगन आदेश जारी किया गया तथा उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 8.2.2019 को आदेश 22 नियम 4 तथा आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई बाबत तथा शेष अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल नियत थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु प्रथम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति को बिना निरस्तारित किए सरसरी तौर से उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 8.2.2019 पारित कर दिया जो कि विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 8.2.2019 को निरस्त किया जाकर उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निदेशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। वे सभी पक्षकारों को समयक रूप से नोटिस तामिल कराकर सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य, सुनवाई एवं जवाब का अवसर प्रदान कर उनके समक्ष लंबित उक्त प्रार्थना पत्र का विस्तृत रूप से निर्णय पारित करें तब तक विवादित आराजीयात बाबत उभपक्ष को यथास्थिति बनाए रखी जाना न्यायहित में उचित समझते है।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 04/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2019 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य, सुनवाई एवं जवाब का अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करें तब तक विवादित आराजीयात बाबत उभयपक्ष को यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली बाबत आदेश पारित किए जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश स्वतः ही प्रभावहिन माना जाएगा। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.02.2023 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner